संख्या–पी–50 / 14–2–2017–800(49) / 2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 01 अगस्त 2017

विषयः– सम्भल में मेरठ–बदायूं मार्ग (एस0एच0–18) के किमी0 142.600 से 162.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 23.28 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2230 वृक्षों तथा 44 पौधों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2214 / सम्भलं / 23576 / 2017, ,दिनांक–27–5–2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भल में मेरठ–बदायूं मार्ग (एस0एच0–18) के किमी0 142.600 से 162.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 23.28 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2230 वृक्षों तथा 44 पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी) 01/08
विशेष सचिव

संख्या–पी 50 (1) / 14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
3– जिलाधिकारी, सम्भल।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।
5– अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल।
6– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।